न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सागर कैम्प, सागर म0प्र0

निग -500-II-16

संजय वल्द मकरध्वज पाण्डे उम्र 32 साल करीब
निवासी महखेरा जागीर तह0 व जिला सागर म0प्र0
-- पुनरीक्षणकर्ता

// विरूद्ध //

दामोदर वल्द श्री शिव चढार उम्र 56 साल
निवासी महखेरा जागीर, हाल निवास
पलोह तहसील केसली जिला सागर -- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

रिवीजन क्र0- संस्थित दिनांक -

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता निम्नप्रार्थी है :-

// पुनरीक्षण के तथ्य //

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता निम्न न्यायालय नायब तहसीलदार सुरखी के न्यायालय से लंबित राजस्व प्र.क्र. 07अ/6 वर्ष 13-14 में अनावेदक के रूप में पक्षकार है तथा वह नियमित अपना बचाव कर रहा है जिसमें आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष मौजा महखेरा जागीर प.ह.नं. 35/130 रा.नि.मं.सुरखी तह0 सागर स्थित पुरानी ख.नं. 326 रकवा 0.405 हे0 भूमि है जिसका वर्तमान में नया ख.नं. 1109, 1110 बनाये गये हैं, के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है ।

// पुनरीक्षण के आधार //

1- यह कि निम्न न्यायालय के समक्ष दिनांक - 26.11.15 को उपरोक्त प्रकरण लंबित था जो उक्त दिनांक को सागर में स्थानीय अवकाश गौर जयन्ती होने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय के बाहर बोर्ड स्थि चस्पा कर सभी प्रकरण दिनांक 26.12.15 बढ़ाये जाने हेतु आदेशित किया गया था

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 500-II/16 जिला सागर

संजय वि. दामोदर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.2.16	मैंने प्रकरण में निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने और निगरानी मेमो तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया ना.तह. सुरखी के प्र.क्र. 7/अ6/13-14 की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रति के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि दि. 29.10.15 को प्रकरण में अगली पेशी दि. 26.11.15 हेतु नियत की गई थी, किन्तु प्रकरण दि. 27.11.15 को लिया गया एवं गैरनिगराकार द्वारा प्रदत्त प्रथम आदेश 6 नियम 17 का आवेदन इसी दि. 27.11.15 का ही है जिसका लेख इस दिनांक की आदेश पत्रिका में है। निगराकार अधिवक्ता द्वारा नोट की गई पेशी दि. 26.11.15 को प्रकरण ना लिए जाने के कारण, दि. 27.11.15, 9.12.15 और 17.12.15 को प्रकरण निगराकार की अनुपस्थिति में चला, और दि 17.12.15 को निगराकार के विरुद्ध एक पक्षीय होने के बाद दि 11.1.16 को पुन: निगराकार की उपस्थिति मान्य कर ली गई। प्रकरण नियत दि. 26.11.15 को ना सुना जाने के कारण और निगराकार को सूचित किए उनके विरुद्ध एक पक्षीय	

[कृ. प. उ.

R-14/16 R - 500-II/16 सागर

स्थान तथा दिनांक	क्रमांक कार्यवाही तथा आदेश दिनांक	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया जाना गलत था।	
	निगरानीकार के विरुद्ध प्रकरण एकपक्षीय अनुचित रूप से एकपक्षीय रहे होने की स्थिति में, गैर-निगरानीकार के आ.6 नि.17 के आवेदन को स्वीकार किया गया। अनुचित रूप दि.17.12.15 को से निगरानीकार के विरुद्ध एकपक्षीय होने की स्थिति में उनका उत्तर बगैर प्राप्त किए गैर-निग. का आवेदन स्वीकृत कर देने की कार्यवाही गलत थी। निगरानीकार ने इसी कार्यवाही/आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।	
	दि 17.12.15 को गैर-निग. द्वारा प्रस्तुत संशोधित आ.6नि.17 के आवेदन के उत्तर के लिए अधीनस्थ न्या. ने निगरानीकार को पे.दि.11.1.16 को समय दिया है, किन्तु दि 27.11.15 के आवेदन की स्वीकृति के संबंध में स्थिति मूक है, जिसका अर्थ है कि वह स्वीकृति यथावत है।	
	उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के प्रकाश में, मैं निगरानीकार के विरुद्ध प्रकरण अनुचित रूप से एकपक्षीय हुए होने की स्थिति में पारित (दि.27.11.15 के आ.6नि.17 के आवेदन की स्वीकृति का) आक्षेपित आदेश दि 17.12.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ। साथ ही ना. तह. सुरखी को यह निर्देश देता हूँ कि वे गैर-निग. द्वारा प्रस्तुत आ.6नि.17 से संबंधित दोनों आवेदनों पर, निगरानीकार को जवाब एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही, प्रकरण में आगे की कार्यवाही करें एवं इन आवेदनों के संबंध में कोई निर्णय लें।	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

आदेश पारित। पक्षकार एवं ना.तह-सुरखी सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।

3.2.16 (सदस्य)